



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 811/2026

Akshay Pandit S/o Lt. Suna Ram, Aged About 21 Years, Village
Binjawadiya Ps Mathania District Jodhpur (Lodged In Central Jail
Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, through PP
2. Mahendra, Bas Stand Mathania Jodhpur

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sunil Bishnoi Mr. Naresh Vishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना मथानिया, जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 218/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 70(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व 5(g)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। पीड़िता पीडब्ल्यू 01, उसके पिता पीडब्ल्यू 02 महेन्द्र व उसकी माता पीडब्ल्यू 03 सीता अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य किये जाने से इनकार किया गया है। प्रकरण में दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.12.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।



विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पीड़िता पीडब्ल्यू 01 ने अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया जाना बताया है व प्रार्थी/अभियुक्त के साथ जाना भी कहा है। पीड़िता के पिता महेन्द्र व उसकी माता सीता ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री के साथ कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं बताया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जो सैम्पल लिये गये, उसमें वीर्य नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अक्षय पण्डित पुत्र स्व. सुनारराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J